NYAYA SADAN

Jharkhand State Legal Services Authority (JHALSA), Near A.G. Office, Doranda, Ranchi- 834002
Phone: 0651-2481520 (O), 2482392, Fax: 2482397, E-mail – jhalsaranchi@gmail.com

Patron-in-Chief
Hon'ble the Chief Justice
Jharkhand High Court

EXECUTIVE CHAIRMAN
Hon'ble Mr. Justice D.N. Patel
Judge, Jharkhand High Court

MEMBER SECRETARY
Arun Kumar Rai
(Principal District Judge)

Ref No: JHALSA/ 333
Dated : 4/2/17

To,

All the Principal District Judges-cum-Chairpersons
District Legal Services Authorities
Including the Principal Judicial Commissioner-cum-Chairman
District Legal Services Authority, Ranchi
Jharkhand
&
All Deputy Commissioners cum Vice Chairpersons
of the District Legal Services Authorities
of the State of Jharkhand

Ref: Letter of Department of Home, Govt. of Jharkhand No. 567 dt: 03/02/17

Sir,

Enclosing herewith the Letter No. 567 dt: 03/02/17 of Department of Home, Govt. of Jharkhand with regard to withdrawal/compromise/disposal of specified matter in the National Lok Adalat on 11/02/17, undersigned may kindly apprise your goodself that His Lordship Hon'ble Executive Chairman has viewed that serious effort at your goodself's end is necessary for maximum disposal of matter on the basis of the aforementioned circular of Home Department.

His Lordship has further viewed that entire machinery under the command of your goodself is required to be set on mission mode so that real and effective implementationof aforesaid circular may be made.

Therefore, as directed your goodself is requested to put all the concerned officer/staff on mission mode to really and effectively implement the circular noted above.

With regards.

Yours faithfully

4/2/17

(Arun Kumar Rai)
Member Secretary

Encl: As above

पत्र संख्या–5/न्याय–07/01/2014 (खण्ड–I)..... 567 /

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
~~~~~~~~~~~

प्रेषक,

तदाशा मिश्र,
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

निदेशक अभियोजन,
अभियोजन निदेशालय,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 03/02 /2017

विषय– दिनांक 11.02.2017 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों का निष्पादन के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में झारखण्ड राज्य के सभी अभियोजन पदाधिकारियों को दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 320 (1)/320 (2)/321 में वर्णित प्रावधानों के अनुरुप स्वतंत्र मंतव्य गठित कर पुलिस द्वारा दर्ज निम्नलिखित श्रेणी के वर्ष 2006 तक के ऐसे लंबित वाद जिसमें सम्मन/वारंट निर्गत होने के बावजूद अभियुक्त उपस्थित नही हुए हों, की वापसी/सुलह/निष्पादन हेतु दिनांकः 11.02.2017 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थापित कराने हेतु आदेश दिया जाता है–

<u>उपस्थापित किए जाने वाले वादों की श्रेणी</u>

1. मोटर वेहिकल एक्ट के अन्तर्गत वाद।
2. पुलिस एक्ट के अंतर्गत वाद।
3. बिहार एक्साइज एक्ट की धारा–47 के अंतर्गत ऐसे वाद जिसमें 10 लीटर से ज्यादा शराब, 2 क्वींटल महुआफुली से ज्यादा एंव 20 किलोग्राम गुरवास से ज्यादा की जब्ति न हो।
4. स्टैण्डर्ड वेट्स एण्ड मेजर्स (इंफोर्समेट) एक्ट के अतंर्गत वाद।
5. मिनिमम वेजेज एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, फैक्टीज एक्ट जिसमें कि संचिका एवं अभिलेख का रख रखाव एवं संधारित नही किया गया हो, से संबंधित वाद।
6. बिहार–बंगाल प्रिवेंशन ऑफ गैंबलिग एक्ट के अतंर्गत वाद।
7. झारखण्ड प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग एण्ड नन स्माकर्स हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट 2001 के अंतर्गत वाद।
~~~~~~~~~~~

8. कैटल ट्रेसपास एक्ट के अतंर्गत वाद।

9. प्रिवेशन ऑफ क्रुअल्टी टू एनिमल एक्ट के अतंर्गत वाद।

10. भारतीय दण्ड विधान की धारा के अतंर्गत वैसे सभी मामले जो दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 320 (1)/320 (2) के अतंर्गत आते हों एवं जो न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा विचारण किया जाता हो और भारतीय दण्ड विधान की धारा 160, 277, 278, 279, 282, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 294, 309, 336, 337, 338, 426, एवं 510 के अतंर्गत वाद।

विश्वासभाजन,

03/02/17

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–5/न्याय–07/01/2014 (खण्ड–I)–567/राँची, दिनांक 03/02/2017.

प्रतिलिपि– सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा), न्याय सदन, डोरण्डा, राँची/ महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/ सचिव सह विधि परामर्शी, विधि विभाग,झारखण्ड, राँची /प्रधान सचिव, स्वास्थय विभाग/प्रधान सचिव, राजस्व विभाग/सचिव, खाद्य सार्वजनिक एवं वितरण विभाग/सचिव, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग/सचिव, उत्पाद विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग, झारखण्ड, राँची/ सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड, राँची/ सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/ महानिदेशक सह पुलिस महानिरीक्षक, झाराण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/02/17

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–5/न्याय–07/01/2014 (खण्ड–I)–567/राँची, दिनांक 03/02/2017.

प्रतिलिपि– सभी उपायुक्त/ सभी लोक अभियोजक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/02/17

सरकार के विशेष सचिव